

क्षितियों का व्यौरा प्राप्त न होने के कारण हुआ है।

(घ) राज्य सरकार से व्यौरा प्राप्त होने के बाद शीघ्र ही समिति का गठन किया जाएगा।

प्रेस कौन्सिल को ज्ञापन

4156. श्री रामावतार शास्त्री : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवम्बर, 1970 और 14 जून, 1971 के बीच कुछ समाचारपत्रों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अनुगोध करने हुए भारतीय प्रेस कौन्सिल को कुछ ज्ञापन मिले हैं;

(ख) यदि हाँ, तो उन ज्ञापनों को देने वालों तथा उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध ये ज्ञापन दिए गये हैं; और

(ग) उक्त समाचारपत्रों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री घमंडीर सिंह) : (क) जी, हाँ।

(ख) तथा (ग). एक विवरण तभी पटल पर रखा जाता है। [मन्थालय में रखा दिया गया। देखिये संख्या LT—623/71]।

Merger of Mizo Hill Districts with Manipur

4157. SHRI DEVINDER SINGH GARCHA :

SHRI RAM SHEKHAR PRASAD SINGH :

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether there is a scheme under consideration of Government or the merger

of Mizo Hill Districts with Manipur and declare it a full fledged State; and

(b) if so, the main features thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI K. C. PANT) : (a) and (b). Government have received various suggestions regarding the future of the Mizo District. These suggestions will be kept in view while finalising the details of the reorganisation of the entire north-eastern region.

मध्य प्रदेश में अंग्रेजी और हिन्दी में तार देने की सुविधा वाले डाकखाने

4158. श्री गंगा चरण वीक्षित : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 1971-72 में मध्य प्रदेश में हिन्दी और अंग्रेजी में तार भेजने की सुविधाओं वाले कितने डाकखाने खोलने का प्रस्ताव है ?

संचार मंत्री (श्री हेमवती नंबन बहुगुणा) : 1971-72 के दौरान मध्य प्रदेश में जो 10 डाकघर तारघर खोलने का प्रस्ताव है, उन में से 4 रोमन और देवनागरी दोनों लिपियों में तार स्वीकार करेंगे।

Exhibition of Films by Foreign Missionaries

4159. SHRI N. SHIVAPPA : Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state :

(a) whether foreign missionaries in India have got freedom to show films, including the blue ones; and

(b) if so, whether Government would like to enforce any code of conduct for these foreign missionaries ?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI DHARAM BIR SINHA) : (a) No one, including a foreign missionary, is permitted, under law, to exhibit any film to the public except in accordance